भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2949
दिनांक 05.08.2026 को उत्तर देने के लिए

दुमका लोक सभा क्षेत्र में खनन

2949. श्री नलिन सोरेनः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्पादन, स्वीकृत किए गए खनन पट्टों/लाइसेंसों की संख्या और सृजित राजस्व के ब्यौरे सहित विगत तीन वर्षों के दौरान झारखंड के दुमका लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में खनन क्षेत्र के अंतर्गत खनन के लिए वर्तमान में स्वीकृत प्रमुख और लघु खनिजों जैसे पत्थर, रेत, कोयला/मिट्टी का ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि दुमका लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और झारखंड के कतिपय अन्य क्षेत्रों से अवैध खनन, पर्यावरणीय क्षति, नदियों, नालों के अनियंत्रित दोहन और खनन नियमों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और गत तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों में कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चंद्र दुबे)

(क): एमएमडीआर अधिनियम 1957 की धारा 15 के अनुसार, राज्य सरकारों को गौण खनिजों के संबंध में खदान के पट्टे, खनन पट्टे या अन्य खनिज रियायतें प्रदान करने और उससे जुड़े प्रयोजनों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है।

खान मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दुमका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों में प्रमुख खनिज पट्टों की कोई भी खान नहीं है।

(ख): एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के अनुसार, राज्य सरकारों को खनिजों के अवैध खनन, ढुलाई और भंडारण और उससे जुड़े प्रयोजनों को रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। राज्य सरकारें अवैध खनन पर त्रैमासिक आधार पर आईबीएम को विवरणियां प्रस्तुत करती हैं। तथापि, ये खनिज या जिला विशिष्ट नहीं हैं। झारखंड राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए अवैध खनन मामलों और उस पर की गई कार्रवाई का विवरण अनुलग्नक में है।

अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों में झारखंड राज्य में अवैध खनन के मामलों का विवरण

राज्य	मामलों की सं.	उत्खनित/भंडारित/परिवहन किए गए खनिज/अयस्क की मात्रा	खनिज/अयस्क का मूल्य	दर्ज की गई प्राथमिकी	दर्ज किए गए अदालती मामले	लगाया गया जुर्माना	ज़ब्त किए गए वाहन
		(लाख टन में)	(लाख रु.)	(सं.)	(सं.)	(लाख रु.)	(सं.)
2023-24	3320	7.361	1001.195	1434	669	1215.370	3721
2024-25	3910	2.453	695.307	1360	792	1337.660	3966
2025-26	एनआर	एनआर					

एनआर- कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।